उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

संख्या – 71–वे०प्र० (30)/पाकालि/2006–8–वे०प्र०(30)/2006 दिनांक 27 फरवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन में कार्यरत सेवकों के मूल वेतन के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता को दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 'महंगाई वेतन' के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों/व्यवस्थाओं के साथ प्रदान की जाती है :–

(1) 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते को 01 अप्रैल, 2004 से 'महंगाई वेतन' के रूप में परिवर्तित किया जायेगा।

(2) 'महंगाई वेतन' को संबंधित देयकों में अलग से प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 01 अप्रैल 2004 को अनुमन्य 61 (इकसठ) प्रतिशत महंगाई भत्ते के स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन एवं 'महंगाई वेतन' के योग पर 11 (ग्यारह) प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। इसी क्रम में दिनांक 01 जुलाई, 2004 तथा दिनांक 01 जनवरी, 2005 से मूल वेतन एवं 'महंगाई वेतन' के योग पर क्रमशः 14 (चौदह) प्रतिशत तथा 17 (सत्रह) प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।

(4) उपर्युक्त 'महंगाई वेतन', सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली के विभिन्न प्राविधानों तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों यथा–पेंशन, पेंशन राशिकरण, ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण मात्र के प्रयोजनार्थ 'मूल वेतन' माना जायेगा।

(5) उपर्युक्तानुसार मूल वेतन के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते को 'महंगाई वेतन' में परिवर्तित करने के फलस्वरूप देय धनराशि का नकद भुगतान माह मार्च, 2006 के वेतन, जिसका भुगतान अप्रैल, 2006 में होना है, से देय होगा एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान निम्नांकित प्रतिबन्धों सहित दो बराबर किस्तों में किया जायेगा जिसकी प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष 2006–07 में एवं द्वितीय किस्त वित्तीय वर्ष 2007–08 में देय होगी :–

(अ) ऐसे सेवक, जो दिनांक 31 मार्च, 2006 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होंगे, को अवशेष का नकद भुगतान किया जायेगा।

(ब) ऐसे सेवक, जो वित्तीय वर्ष 2006–2007 में सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें सम्पूर्ण अवशेषों का

(ग) ऐसे सेवक, जो वित्तीय वर्ष 2007–2008 मे सेवानिवृत्त होने वाले है, उनके अवशेषों को वित्तीय वर्ष 2006–2007 में देय प्रथम किश्त सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते मे जमा की जायेगी तथा इस प्रकार जमा धनराशि को दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निर्वाह निधि पर लागू दर से देय होगा तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 मे देय दूसरी किश्त का नकद भुगतान किया जायेगा ।

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सेवको के मामले मे वित्तीय वर्ष 2006–2007 तथा वित्तीय वर्ष 2007–2008 मे देय अवशेष की धनराशि संबंधित सेवकों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में क्रमश दिनांक 01 अप्रैल, 2006 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निर्वाह निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई सेवक सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का सदस्य नही है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप मे दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

2. जिन मामलों मे पेंशन राशिकरण पूर्व मे स्वीकृत हो चुका है, उनमे इसका पुन निर्धारण नहीं किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 71 (i)–पे0प्र0 (30)/पाकालि/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0जलविद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगण, उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/अधिशासी अभियता,उ0प्र0पा0का0लि0।
8. सचिव, यू0 पी0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
11. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
[signature]